सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 94/2015

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – ब्यावर खास

श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ब्यावरखास तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

..........................वादी

ब ना म

1– श्री भीमा पुत्र श्री जवारा
2– श्री रंगलाल पुत्र श्री जवारा
3– श्री कालू पुत्र श्री जवारा
4– श्री नैना पुत्र श्री जवारा
5– श्री प्रहलाद पुत्र श्री जवारा
6– सोनी पुत्री श्री जवारा
7– रूकमणी पुत्री श्री जवारा
8– श्रीमती रमती पत्नि श्री जवारा
9– राजस्थान सरकार जरिए भू धारक श्रीमान् तहसीलदार साहब, ब्यावर

..................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय दिनांक 14.6.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ब्यावर खास में प्रस्तुत हुआ। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार ब्यावर को पत्र क्रमांक 4794 दिनांक 07.07.2017 को डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार ब्यावर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक 3313 दिनांक 13.06.2018 को प्रस्तुत किया गया।

वादी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार ब्यावर उपस्थित। मज़में आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादी ने मज़में आम में कथन किए कि जो बंटवारे का प्रस्ताव बनाया गया है वह मेरे राजस्व रेकार्ड एवं कब्जा काश्त के अनुसार ही बनाया है। उक्त आशय का कथन वादी ने आदेशिका पर अंकित किया तथा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया, मज़में आम में जरिए पूछताछ एवं बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होंने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम शम्भूपुरा पटवार हल्का ब्यावरखास के खसरा संख्या 1132/1 रकबा 01–06–06 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया गया है, को वादी श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत सा. ब्यावरखास के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1104 रकबा 00–03–10, 1105 रकबा 01–01–00, 1106 रकबा 00–14–00, 1132/2 रकबा 00–06–14, 1137 रकबा 01–14–00, 1142 रकबा 01–02–00, 1150 रकबा 00–04–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादीगण भोमा रंगलाल कालू नैना प्रहलाद पि. जवारा सोनी रूक्मणी पुत्रियां जवारा रमती पत्नि स्व. जवारा कौम गूजर सा. देह खातेदार के हिस्से में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एंव लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ब्यावरखास में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – ब्यावरखास
राजस्व वाद संख्या 94/2015

श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ब्यावरखास तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

..........................वादी

ब ना म

1– श्री भीमा पुत्र श्री जवारा
2– श्री रंगलाल पुत्र श्री जवारा
3– श्री कालू पुत्र श्री जवारा
4– श्री नैना पुत्र श्री जवारा
5– श्री प्रहलाद पुत्र श्री जवारा
6– सोनी पुत्री श्री जवारा
7– रूकमणी पुत्री श्री जवारा
8– श्रीमती रमती पत्नि श्री जवारा
9– राजस्थान सरकार जरिए भू धारक श्रीमान् तहसीलदार साहब, ब्यावर

..................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – –
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.9 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 95/2015
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 14.06.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ब्यावरखास में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.2018 को सुखराम खोखर (आए.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट ब्यावरखास में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में जरिए पूछताछ एवं यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होंने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम शम्भूपुरा पटवार हल्का ब्यावरखास के खसरा संख्या 1132/1 रकबा 01–06–06 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया गया है, को वादी श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत सा. ब्यावरखास के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1104 रकबा 00–03–10, 1105 रकबा 01–01–00, 1106 रकबा 00–14–00, 1132/2 रकबा 00–06–14, 1137 रकबा 01–14–00, 1142 रकबा 01–02–00, 1150 रकबा 00–04–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादीगण भोमा रंगलाल कालू नैना प्रहलाद पि. जवारा सोनी रूक्मणी पुत्रियां जवारा रमती पत्नि स्व. जवारा कौम गूजर सा. देह खातेदार के हिस्से में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एंव लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 14.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

......................लगातार

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्तदाई
श्री उम्मेदसिंह बनाम श्री भीमा व अन्य
राजस्व वाद संख्या 94 / 2015
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ब्यावरखास

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर